लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1103

17 दिसंबर, 2018 को उत्तर के लिए

इस्पात संयंत्रों में दुर्घटनाएं

1103. श्री टी.जी. वेंकटेश बाबूः

श्री जी. हरिः

श्री अभिजित मुखर्जीः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार भारतीय भिलाई इस्पात संयंत्र में हाल ही में हुए विस्फोट जिसमें 13 लोगों की मौत हुई थी और बहुत से लोग घायल हुए थे, की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई उच्चस्तरीय जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और निष्कर्ष क्या हैं; और

(ङ) इस्पात संयंत्रों में सुरक्षा और संरक्षा तथा ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय)

(क) और (ख): स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) में दिनांक 09.10.2018 को लगभग +10 मीटर स्तर पर कोक ओवन बैटरी (सीओबी) #11 के पीछे कॉलम सी-50 पर स्थित 1800 एमएम डायमीटर की कोक ओवन गैस लाईन की डी-ब्लैंकिंग के लिए एक प्रोटोकॉल कार्य शुरू किया गया था। प्रोटोकॉल के अनुसार विभिन्न एजेंसियों से आवश्यक मंजूरियाँ लेने के साथ ही नेटवर्क दबाव में भी कमी की गई थी। ब्लैंक प्लेट हटाने के बाद रिंग पैकिंग के प्रवेश की तैयारी चल रही थी। उसी समय आग लग गई और पर्यावरण प्रबंधन विभाग (ईएमडी) के कर्मचारी तथा इस कार्य के लिए लगाई गई फायर ब्रिगेड आग की पकड़ में आ गई। परिणामस्वरूप, 9 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई और 5 लोगो ने भिलाई स्थित जवाहरलाल नेहरू (जेएलएन) अस्पताल में अपनी चोटों के इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

(ग) और (घ): घटना के कारणों को जाँचने और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उचित उपाय सुझाने तथा जिम्मेदारी तय करने के लिए सेल द्वारा सेल के विभिन्न संयंत्रों से विशेषज्ञों की एक जाँच समिति का गठन किया गया था। इसी प्रकार, दुर्घटना के कारणों की स्वतंत्र जाँच करने के लिए इस्पात मंत्रालय द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। दोनों समितियों की रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी हैं।

(ङ): सेल और आरआईएनएल, दोनों ने दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कई उपाय किए हैं। इन उपायों के साथ-साथ, शिड्यूल के रख-रखाव का अनुपालन, सुरक्षा प्रबंधन के लिए सुव्यस्थित उचित पहुँच पर जोर देना, सुरक्षा पद्धतियों का दृढ़ अनुपालन, नियमित निरीक्षण, सुरक्षा जागरुकता हेतु अनिवार्य प्रशिक्षण तथा विशेष प्रशिक्षण, सुरक्षा परीक्षण का संचालन करना, निजी सुरक्षा उपकरणों के उपयोग पर जोर देना और कारखाना अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के अनुरूप तैयार की गई आपात योजना का उचित कार्यान्वयन आदि का अनुपालन भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, दुर्घटना के विश्लेषण के आधार पर अच्छे अभ्यास से सीखने की सहूलियत के उद्देश्य से हाल ही में क्षेत्र विशेष की सुरक्षा संबंधी कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें सभी प्रमुख इस्पात उत्पादक सम्मिलित हुए।

*****